# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 296/2016 दायरा दिनांक : 16.08.2016**

**उनवान**

1— कैलाश पुत्र श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

2— भंवरलाल पुत्र श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

3— मुरारी पुत्र श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

4— पुष्पाबाई पुत्री श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

5— बिन्दूबाई पुत्री श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

6— भगवतीबाई बेवा श्री प्रेमनारायण, जाति ब्राहमण, निवासी चावलखेडी, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

**निर्णय दिनांक : 15.11.2017**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 156/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम चावलखेडी तहसील छबडा में आराजी खसरा नम्बर 45 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा वादीगण के पिता/पति के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । ये भूमियां सम्वत 2012–31 में खालसा माफी चौकीदारी देन सरकार औंकार वल्द भोलू राठी दर्ज थी । इसके बाद जमाबंदी सम्वत 2014–17 में उपकृषक कल्याण वल्द औंकार राठी व जमाबंदी सम्वत 2031–34 में मकबूजा सरकार उपकृषक गीताबाई के नाम से दर्ज हुई । वादीगण के पिता/पति प्रेमनारायण ने इन भूमियों को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सन् 1980 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से निर्विवाद कब्जा वादीगण का है । इंतकाल नम्बर 186 इस विक्रय के आधार पर वादीगण के पिता/पति के नाम खोला गया । जमाबंदी सम्वत 2056–59 में पुनः ये भूमियां मकबूजा सरकार गीता बाई पुत्री कल्याण राठी, मांग्या और दुर्गा तेली के नाम से दर्ज कर दी गई । इंतकाल नम्बर 146 से आराजी वादीगण के पिता/पति के नाम दर्ज की गई और फोती इंतकाल संख्या 444 खोलकर आराजी वादीगण के नाम दर्ज की गई । वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता के साथ मकबूजा सरकार दर्ज है । आराजी माफी चौकीदारी की है । राजस्व विभाग ने गलत रूप से उपकृषक के साथ के मकबूजा सरकार दर्ज किया है । मकबूजा सरकार होने के कारण वादीगण को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है । अतः वादीगण को

खातेदार घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में दिनांक 21.06.2016 को दावा वादीगण खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी अथवा उनके अभिभाषक को दिनांक 21.06.2016 की कोई सूचना नहीं दी गई । दिनांक 12.04.2016 को दिनांक 09.05.2016 की तारीख रखी गई थी । दिनांक 09.05.2016 को कोई अन्य तारीख नहीं दी गई और सीधे कोर्ट कैम्प में दिनांक 21.06.2016 को रखकर निर्णय पारित किया है । वादीगण की साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की गई है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली में बिना वादीगण की उपस्थिति के बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया । पक्षकारान के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था । वादीगण की साक्ष्य की विवेचना नहीं की गई है । निर्णय विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आराजी मकबूजा सरकार है जिस पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी और दिनांक 09.05.2016 की तारीख रखी गयी थी और उसके बाद सीधे ही दिनांक 21.06.2016 को रखी गयी । लोक अदालत में उभयपक्षकारान में से कोई भी उपस्थित नहीं था और न ही किसी प्रकार का राजीनामा पेश किया गया था । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादी की साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ नयायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा